

## किरायानामा

यह पट्टा दिनांक \_\_\_\_\_ माह \_\_\_\_\_ सन \_\_\_\_\_ को श्री \_\_\_\_\_ आत्मज \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिसे आगे " मकान मालिक कहा गया है " एवं जो इस विलेख का प्रथम पक्षकार है।

तथा श्री \_\_\_\_\_ आत्मज \_\_\_\_\_ आयु \_\_\_\_\_ वर्ष \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ जिसे आगे " किरायेदार कहा गया है " एवं जो इस विलेख का दूसरा पक्षकार है के बीच \_\_\_\_\_ (ग्राम/शहर का नाम) में निष्पादित किया गया।

### संपत्ती का विस्तृत विवरण

चूंकि उक्त मकान मालिक का \_\_\_\_\_ नगर में \_\_\_\_\_ रोड पर अवस्थित एक मकान है जिसमें \_\_\_\_\_ कमरे, रसोई एवं लेट्रिन, बाथरूम है (जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है) ओर उक्त किरायेदार \_\_\_\_\_ वर्ष के लिए रु। \_\_\_\_\_ प्रतिमाह में किराये पर लेने का इच्छुक है, एवं जिसे देने के लिए मकान मालिक सहमत है। किरायानामा निम्नलिखित शर्तों के आधीन रहेगा।

### किरायानामा की शर्तें

1. की उक्त मकान \_\_\_\_\_ वर्ष के लिए किरायेदार जे आधिपत्य में रहेगा वह उसकी किराये की शर्तों के अनुसार उपयोग एवं उपभोग कर सकेगा
2. की किरायेदार दिनांक \_\_\_\_\_ से आरंभ होकर दिनांक \_\_\_\_\_ को समाप्त होगी एवं इसमें आगे किराएदारी की अवधि में वृद्धि करने का मकान मालिक का अधिकार होगा
3. की उक्त किरायेदार को उक्त मकान का किराया हर माह की पहली तारीख को अदा कर मकान मालिक से रसीद प्राप्त करनी होगी।
4. की उक्त मकान का \_\_\_\_\_ माह का किराया अग्रिम देय होगा, जो किराएदारी को समाप्ति पर लौट दिया जायेगा।
5. की किरायेदार उक्त मकान की बिजली एवं पानी के बिल का समय पर भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा।
6. की मकान का नगरपालिका को देय शुल्क मकान मालिक अदा करेगा।
7. की किरायेदार मकान स्वच्छ एवं ठीक हालत में रखेगा। उसे किसी भी प्रकारकी क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। क्षतिग्रस्त होने की हालत में किरायेदार क्षतिपूर्ति अदा करने को बाध्य होगा।



8. की मकानमालिक की बिना स्वीकृति के किरायेदार उसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत या निर्माण कार्य नहीं कराएगा एवं मकान मालिक की पूर्व स्वीकृति से किरायेदार \_\_\_\_\_ माह के किराये की रकम तक को उसकी मरम्मत आदि में व्यय कर सकेगा।
9. की किरायेदार मकान को सिर्फ निवास के हेतु उपयोग में लाएगा उसमें किसी प्रकार का व्यापार एवं व्यवसाय नहीं कर सकेगा।
10. की किरायेदार उसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य का व्यापार नहीं करेगा। एवं मकानमालिक को किसी भी दिन, दिन के समय शांतिपूर्वक मकान की देख रेख करने के लिए उसमें प्रवेश करने का अधिकार होगा।
11. की किरायेदार मकानमालिक की बिना स्वीकृति के किसी को भी किराये पे रहने को दे नहीं सकता ओर उसके सिवा दूसरे किसीको आने की प्रमिसिन दे नहीं सकता ।
12. की किरायेदार विलेख में उल्लेखित सारी शर्तों का पालन करने को बाध्य होगा एवं उसमें से किसी का भी उल्लंघन किए जाने पर मकानमालिक को उसे बेदखल करने एवं किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार होगा। (किरायानामा मे पक्षकारों ने तई किये शर्तों के आधार पे बदलाव करने रहेंगे। )

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त अथान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

**साक्षिगण :-**



1. -----
2. -----

**मकान मालिक किरायानामा का प्रथम पक्षकार**



-----  
मकानमालिक हस्ताक्षर

किरायेदार किरायानामा का दूसरा पक्षकार



-----

किरायेदार हस्ताक्षर